कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.)

-: विज्ञापन :-

क्रमांक- 01/2023 रामानुजगंज, दिनांक 24/02/2023

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि-31.03.2023
दिन-शुक्रवार की संध्या 05:00 बजे तक
आवेदन पत्र न्यायालय परिसर रामानुजगंज में निर्धारित ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से ही स्वीकार किए जाऐंगे।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.) के अंतर्गत "आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर) पर वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर)'' के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त भारत के मूल नागरिको से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	पद संख्या
1.	वाटरमैन	04
2.	चौकीदार	05
3.	स्वीपर	05
	कुल योग-	14

वेतनमान - कलेक्टर बलरामपुर द्वारा समय-समय पर निर्धारित दैनिक वेतन

1. भर्ती की पात्रता एवं शर्तें

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता : कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्त्तीर्ण होना अनिवार्य है।

अन्य योग्यता व अनुभव : सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें। यदि किसी कार्य में विशेषज्ञता रखते हों तो विशेष योग्यता जैसे ड्राईवर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर एवं कम्प्यूटर इत्यादि प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

टीप :- परीक्षा केन्द्र का नाम एवं समय की जानकारी अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि के दो दिवस पूर्व तक यदि प्रवेश-पत्र प्राप्त नहीं होते हैं तो अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.) से कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते हैं अथवा जिला न्यायालय के वेबसाईट **https://districts.ecourts.gov.in/balrampur_chg** से डाउनलोड करके स्वयं का फोटो चस्पा करते हुए वैध पहचान पत्र के साथ निर्धारित परीक्षा तिथि, समय एवं स्थान में उपस्थित हो सकते हैं।

2. आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें

(i) (अ) कोई भी उम्मीद्वार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

अध्यक्ष
चयन समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

(ब) कोई पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले एक पत्नी जीवित हो, नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(ii) प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी आयु **दिनांक 01 जनवरी, 2023 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ– 3–2/2002/1–3 रायपुर दिनांक 30. 01.2019 में दिए गए** निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट होगी अर्थात 40 वर्ष आयु सीमा की छूट होगी।

(iii) आवेदक को अच्छे चरित्र और स्वस्थ मन एवं शरीर का होना चाहिए और ऐसी मानसिक एवं शारीरिक दुर्बलताओं से मुक्त होना चाहिए जो उसे आवेदित पद के अयोग्य बनाता हो।

(iv) आवेदक का एक से अधिक जीवित पति/पत्नि नहीं होना चाहिए।

(v) आवेदक को नैतिक अधमता (Moral Turpitude) से युक्त अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं होना चाहिए।

(4) उच्चतम आयु सीमा में छूट :-

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीद्वारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी:-

4 (एक)(1)- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

4 (एक)(2)- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-25-93/1 आ.प्र.दिनांक 20.01.1994 के अन्तर्गत आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं होना चाहिए।

4 (एक)(3)- छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेंगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

4 (एक)(4)- ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

<u>स्पष्टीकरण</u> :- *छंटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा*

24/1/23

अध्यक्ष
चयन समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।

4 (एक)(5)- ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4 (एक)(6)- महिलाओं के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी। जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

4 (एक)(7)- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1-2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

4 (एक)(8)- स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) नगर सेवा के नाम कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4 (एक)(9)- विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी ।

4 (दो)(1)- आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियो के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी 3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के सन्दर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

4 (दो)(2)- राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडूधर सम्मान, महाराजा प्रवीण चंद भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 19-2/2005/1-3 दिनांक 01.12.2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

4 (दो)(3)- उत्कर्ष खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 6-10/2004/1-9 दिनांक 06.07.2010 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

<u>टीप</u> :- (1) बिंन्दु क्रमांक 4 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2) बिन्दु क्रमांक 4 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है, तो उसे आयु सीमा

अध्यक्ष
चयन समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिंदु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

<u>उदाहरण</u> :- *यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ-साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी। अन्तरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जाएगी।*

(5) उपरोक्त 4 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता, तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी ।

<u>महत्वपूर्ण</u> - यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अत: आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीद्वारी समाप्त की जाएगी। <u>सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</u>

(6) जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी।

(7) आवेदनों की छंटाई पश्चात् पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची इस कार्यालय की वेबसाईट **https://districts.ecourts.gov.in/balrampur_chg** पर अपलोड किया जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा अपात्रता के संबंध में आपत्ति की जा सकेगी। तत्पश्चात् अंतिम पात्रता सूची भी जिला न्यायालय की वेबसाईट में घोषित की जा सकेगी। दावा आपत्ति की अंतिम तिथि जिला न्यायालय बलरामपुर स्थान रामानुजगंज की वेबसाईट **https://districts.ecourts.gov.in/balrampur_chg** पर अपलोड किया जावेगा। दावा आपत्ति की अंतिम तिथि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

(8) दावा/आपत्ति के निराकरण पश्चात् आवेदकों को रोल नम्बर आबंटित किया जावेगा। आबंटित रोल नम्बर, नाम, पिता/पति का नाम एवं पता सहित सूची, परीक्षा/साक्षात्कार की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी जिला एवं सत्र न्यायालय, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.) की वेबसाईट **https://districts.ecourts.gov.in/balrampur_chg** पर अपलोड की जाएगी तथा अपलोड किए जाने की सूचना स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से दी जा सकेगी। जिला एवं सत्र न्यायालय, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज के सूचना बोर्ड पर भी योग्य उम्मीद्वारों की सूची चस्पा की जाएगी तथा परीक्षा/साक्षात्कार हेतु पात्र अभ्यर्थियों को सूचना डाक के द्वारा भी

अध्यक्ष
चयन समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

दी जावेगी। उम्मीद्वार वेबसाईट से अपना रोल नम्बर डाउनलोड कर सकेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की छंटाई (**Short-listing**) की प्रक्रिया एवं मापदण्ड भर्ती कमेटी द्वारा निर्णित किया जावेगा, जो अंतिम होगा।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

1– आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र **दिनांक 31.03.2023, दिन–शुक्रवार की संध्या 5.00 बजे तक** बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से **आवेदित पद का नाम "वाटरमैन/ चौकीदार/ स्वीपर" लिखा हो**, आवेदन "कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.)" को सम्बोधित होना चाहिए। शासकीय सेवारत् अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र जिला एवं सत्र न्यायालय, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.) के जिला न्यायालय परिसर रामानुजगंज में रखे निर्धारित ड्रॉप बॉक्स पर विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से दिनांक 31.03.2023 को संध्या 05:00 बजे तक डाले जा सकते हैं। अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे तथा ड्रॉप बॉक्स से भिन्न प्रकार से प्राप्त किसी भी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार भी स्वीकार्य नहीं होगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियां एवं पांच–पांच रूपये का डाक टिकट लगा हुआ एवं स्वयं का पता लिखा हुआ दो लिफाफा संलग्न करना आवश्यक होगा।

2– प्रत्येक आवेदित पद हेतु आवेदन पत्र पृथक–पृथक लिफाफे में उपरोक्तानुसार पद का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

3– एक ही आवेदन पत्र में एक से अधिक पद उल्लेखित होने पर आवेदक द्वारा प्रथमतः उल्लेखित पद हेतु आवेदन स्वीकार किया जावेगा।

4– जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण–पत्र अथवा पांचवीं परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

5– ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता/विभाग प्रमुख के उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

चयन प्रक्रिया

1– चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.) को होगा।

2– अभ्यर्थी का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जावेगा। अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक होने पर अभियर्थियों की छंटाई के उद्देश्य से चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत विज्ञापित पद हेतु छंटाई, पद की योग्यता एवं अनुभव के आधार पर भी की जा सकती है।

3– अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित कराने का अधिकार चयन समिति के पास सुरक्षित होगा।

24/2/23

अध्यक्ष
चयन समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय
जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.)

4– चयनित उम्मीद्वार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5– चयनित उम्मीद्वार की सेवा पुलिस सत्यापन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अध्याधीन होगी।

6– चयन प्रक्रिया, चयन एवं नियुक्ति के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.) का निष्कर्ष अंतिम एवं बन्धनकारी होगा। कोई अयोग्यता पाये जाने पर किसी भी स्तर पर चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी

प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। पदों हेतु निर्धारित योग्यता विज्ञापन तिथि तक पूर्ण होने चाहिए।

नियुक्ति हेतु चयन विधि

1. आकस्मिकतानिधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर)

(अ) साक्षात्कार

आकस्मिकतानिधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर) के पद हेतु अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज सहित व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होगी। जिसमें अभ्यर्थी के दस्तावेजों का परीक्षण कर साक्षात्कार लिया जावेगा।

टीप :– मूल दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत साक्षात्कार के आधार पर चयन हेतु मेरिट-लिस्ट तैयार की जाएगी, और उक्त सूची के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.) के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। उपरोक्त पदों पर प्रावीण्य सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

अन्य आवश्यक सूचनाएं

(अ) जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीद्वारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी।

(ब) उपयुक्त पाए गए तथा निरस्त किए गए आवेदन पत्रों से संबंधित उम्मीद्वारों की पृथक-पृथक सूची जिला न्यायालय के वेबसाईट **https://districts.ecourts.gov.in/balrampur_chg** एवं सूचना-पटल पर उपलब्ध करायी जायेगी। निरस्त किए गए आवेदन पत्रों पर दावा आपत्ति सात दिवस के भीतर दावा संबंधित दस्तावेज के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

24/2/23
अध्यक्ष
चयन समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

(स) अभ्यर्थियों द्वारा कोविड–19 के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा कक्ष में स्वयं का मास्क एवं सेनेटाईजर का प्रयोग किया जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा उपस्थिति पत्रक में हस्ताक्षर करते समय मौखिक रूप से निर्देशित किये जाने पर मास्क हटाकर अपनी पहचान दिखाई जावेगी।

(द) आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती परीक्षा वर्ष 2023 से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात् विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे तथा उक्त अवधि के पश्चात् ''सूचना के अधिकार अधिनियम'' के अन्तर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि/निरिक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा।

योग्य पाये गये उम्मीदवारों को उनका प्रवेश पत्र डाक द्वारा उनके पते पर भेजा जावेगा, किन्तु समय पर उन्हें प्राप्त न होने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र जिला न्यायालय के वेबसाईट **https://districts.ecourts.gov.in/balrampur_chg** *से भी डाउनलोड कर सकते हैं।*

परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित तिथि, स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

अध्यक्ष
चयन समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय
बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

अनुमोदित

District & Sessions Judge
Balrampur at Ramanujganj (C.G.)

<u>आवेद पत्र का प्रारूप</u>
<u>{आकस्मिकता निधि (वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर) से</u>
<u>वेतन पाने वाले कर्मचारी के पद हेतु }</u>

आवदेक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज का फोटो

प्रति,

<u>जिला एवं सत्र न्यायाधीश,</u>
<u>बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.)</u>

1. आवेदित पद का नाम - ....

2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) ....

   (अंग्रेजी के ब्लाक लेटर्स में) ....

3. लिंग- पुरूष, संकेतांक-1, महिला संकेतांक-2 [ ]
   तृतीय लिंग संकेतांक-3

4. पिता/पति का नाम ....

5. अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता ....
   (हिन्दी में) ....
   ....

   ब) स्थायी पता ....
   ....
   ....

6. अ) जन्म तिथि - अंको में [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

   शब्दों में ....

   ब) दिनांक 01/01/2023 को आयु:- वर्ष [ ] माह [ ] दिन [ ]

7. क्या आवेदक भारत का मूल नागरिक है? हां/नहीं [ ]

8. क्या आवेदक छ.ग. शासन द्वारा छ.ग. के लिये घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हां/नहीं (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।) [ ]

9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें। [ ]

10. क्या आप विवाहित हैं? हां/नहीं ....

11. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड /संस्था का नाम	प्राप्तांक पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6

12. अनुभव यदि कोई हो (प्रमाण पत्र संलग्न करें) – ....

13. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है? हां/नहीं (यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)

14. क्या अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है या नहीं? यदि हुआ है तो वर्तमान स्थिति ....

15. क्या आप निर्धारित आयुसीमा में छूट चाहते हैं? हां/नहीं .... (यदि हां तो दस्तावेज पेश करें।)

16. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची:-

1. .... 2. ....
3. .... 4. ....
5. .... 6. ....

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है और यदि वे झूठे या गलत पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति के किसी भी स्तर पर निरस्त किए जाने योग्य होगी।

दिनांक ....
स्थान ....

आवेदक का हस्ताक्षर
नाम एवं पूरा पता